विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार भावन मांझी वल्द मोत मांझी को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के भाई के पुत्र जगेश्वर मांझी द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम तलमंगा खाता सं 111 प्लॉट नं० 02 रकबा 5.84 ए० वर्ष 2014-15 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान जगेश्वर मांझी ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

12/9/2020

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम– तलमंगा खाता नं0 111 प्लॉट नं0 49 एवं 226 सर्वे खतियान में किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है एवं नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भावन मांझी वल्द मोत मांझी ग्राम तलमंगा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
तलमंगा	50	111	49	4.30 ए०
	50	111	226	1.54 "
				5.84 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद् किया जाता है।

लेखापित

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

12/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner